

श्री कुमार प्रशान्त (आई०ए०एस०) जिलाधिकारी, चन्दौली की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2016 को जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) की हुई समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति

पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 27.06.2016 को अपराह्न 4.00 बजे जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) की विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आहुत की गयी। उक्त बैठक में श्री जगदीश त्रिपाठी, उपायुक्त मनरेगा, श्री योगेन्द्र कुमार पाठक, उपायुक्त स्वतः रोजगार, श्री जी०एस०श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निम्न निर्देश दिये गये:-

- 1- जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा खुले में शौच मुक्त (ओ०डी०एफ०) ग्रामों के प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए अब तक जनपद के ट्रिगर किये गये 26 ग्राम पंचायतों के प्रगति के सम्बन्ध में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) से जानकारी चाही गयी। समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि अभी तक मात्र 7 ग्राम पंचायतों में निगरानी समिति का गठन कर नियमित रूप से सुबह और शाम को फालोअप की गतिविधि संचालित की जा रही है, शेष 19 ग्राम पंचायतों में ठीक-ढंग से निगरानी समिति का गठन नहीं कराया गया है और न ही नियमित रूप से फालोअप की गतिविधियां संचालित हो रही है। ग्राम पंचायतों में निकाली जा रही स्वच्छता रैली में भी ग्राम पंचायत/विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है, यह कदापि उचित नहीं है। ओ०डी०एफ० हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कराने के सभी गतिविधियों में अनिवार्य रूप से ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें तथा सभी लोग मिशन मोड में कार्य करें।
- 2- उपस्थित सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) को निर्देशित किया गया कि अब तक ट्रिगरिंग किये गये 26 ग्राम पंचायतों के अलावा अपने विकास खण्ड से 4-4 ग्राम पंचायतों को ओ०डी०एफ० हेतु चयन कर तत्काल सूची उपलब्ध करायें। ओ०डी०एफ० हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में वरीयता क्रम में गंगा किनारे के ग्राम पंचायत, विभिन्न वर्षों के चयनित समग्र ग्राम एवं पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों को लिया जाय। ओ०डी०एफ० हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में, जिनके पास निजी पक्के मकान हैं, उन्हें स्वयं शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जाय। साथ ही पास पड़ोस के लोगों को भी शौचालय के निर्माण एवं प्रयोग के लिए प्रेरित करें। साथ ही ग्रामीणों को खुले में शौच न करने का जज्बा उनके अन्दर विकसित करें। सफाई कर्मियों एवं रोजगार सेवकों के लिए निर्देशित किया गया कि अपने-अपने घरों में शौचालय का निर्माण करायें तथा शौचालय निर्माण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 3- अन्त्येष्टी स्थलों के प्रगति की समीक्षा करने पर संज्ञान में आया कि विकास खण्ड-चहनिया में आवंटित 8 अन्त्येष्टी स्थल के सापेक्ष मात्र 2 अन्त्येष्टी स्थलों का कार्य संतोषजनक है। शेष 6 का निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। विकास खण्ड-धानापुर में आवंटित 8 अन्त्येष्टी स्थलों के सापेक्ष एक भी अन्त्येष्टी स्थलों के निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिसके क्रम में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) को निर्देशित किया गया कि कार्य की प्रगति को बढ़ाते हुए प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर सभी अन्त्येष्टी स्थलों के निर्माण का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- 4- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य योजना के अनुरूप विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल निर्माण का कार्य प्रारम्भ न होने की दशा में निर्देशित किया गया कि तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें तथा सभी खण्ड विकास अधिकारी यह सूचना उपलब्ध करायें कि किन-किन ग्राम पंचायतों में बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि निकासी की गयी है ताकि सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकें।
- 5- मनरेगा योजना के डवटेलिंग की समीक्षा करते हुए उपस्थित उपायुक्त, मनरेगा को निर्देशित किया गया कि सभी तालाबों पर चल रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करायें।

6- सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से समीक्षा एवं ग्रामों का भ्रमण कर लोहिया आवास के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करायें।

7- खण्ड विकास अधिकारियों से कहा गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेन्टर का संचालन किया जाना है। जिन ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेन्टर का संचालन नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों जिनके पास कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि उपकरण उपलब्ध हो उनका नाम जिला सूचना उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करा दें। ई-डिस्ट्रीक मैनेजर द्वारा सक्रिय कामन सर्विस सेन्टरों का एक भी निरीक्षण नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि शीघ्र निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायें। तत्पश्चात् ही वेतन भुगतान होगा।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से ग्रामों का भ्रमण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायें एवं जिन कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनमें नियमित अनुश्रवण कर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।


(कुमार प्रशान्त)
जिलाधिकारी
चन्दौली

पत्रांक 129 /7-पं0रा0/समीक्षा बैठक/2016-17

दिनांक- 28 जून, 2016

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सूचनार्थ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी जनपद-चन्दौली।
- 3- उपायुक्त, स्वतः रोजगार जनपद-चन्दौली।
- 4- उपायुक्त, श्रम रोजगार जनपद-चन्दौली।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद-चन्दौली।
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद-चन्दौली को अनुपालनार्थ।
- 7- समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद-चन्दौली को अनुपालनार्थ।


जिलाधिकारी
चन्दौली

o/c